संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्रमांक/आई.डी.एस.पी/2020/ 266 भोपाल, दिनांक 23/03/2020

प्रति,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त सिविल सर्जन तथा मुख्य अस्पताल अधिक्षक

विषय:- मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट, 1949 के अंतर्गत COVID-19 से उत्पन्न हुई स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही करने के सम्बन्ध में |

सन्दर्भ:- 1. मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18 एवं 23 मार्च 2020 |

2. मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23 मार्च 2020 |

COVID-19 के देश में फैलने से उत्त्पन हुई स्थिति के सन्दर्भ में आप के द्वारा विभिन्न कार्यवाहियाँ करने की अपेक्षा होगी | आपके द्वारा यह कार्यवाहियाँ नीति नियम के अंतर्गत की जा सके इसके लिए COVID-19 को मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 51 के अंतर्गत अधिसूचित संक्रामक रोग होना अधिसूचित किया गया है | इस अधिसूचना के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी- **जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा समस्त सिविल सर्जन तथा मुख्य अस्पताल अधिक्षकों-** को COVID-19 के सन्दर्भ में किसी भी व्यक्ति को Quarantine में रखना, परीक्षण हेतु उसके सैंपल लेने, संदिग्ध/मरीज की गतिविधि विनियमित करने, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बंद करने इत्यादि विभिन्न कार्यवाही करने के अधिकार प्राप्त है | (मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18 एवं 23 मार्च 2020) |

मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट, 1949, के संलग्न प्रावधानों के द्वारा जन साधारण द्वारा या उनके सम्बन्ध में अनिवार्य रूप से कार्यवाही करने के प्रावधान है | अगर कोई व्यक्ति इन प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने के अधिकार एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी - **जिला मजिस्ट्रेट** - को प्रदत्त किये गए है |

इसी अनुसार The Madhya Pradesh Epidemic Diseases, COVID-19 Regulation, 2020 के अंतर्गत COVID-19 के संक्रमण की स्थिति में आवश्यकता अनुसार कार्यवाही करने हेत अधिकार प्रदत्त किये गए है |

आपके द्वारा COVID-19 के रोकथाम हेतु मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट, 1949 एवं The Madhya Pradesh Epidemic Diseases, COVID-19 Regulation, 2020 के प्रावधानों का किन